



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 10169 / NREGS-MP / NR-5 / 2008

भोपाल, दिनांक 26/11/2008

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला - म. प्र. (समस्त 50 जिले)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला पंचायत - म. प्र. (समस्त 50 जिले)

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वृद्धजनों हेतु रोजगार के अवसर।


विषयांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जॉबकार्डधारक व्यक्ति द्वारा रोजगार मांगने पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मजदूरी का भुगतान टॉस्क की पूर्णता के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कार्यस्थल पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति रोजगार की मांग करते हैं तो उन्हें भी कार्य उपलब्ध कराया जाए। वृद्धजन (60 वर्ष से अधिक की आयु के स्त्री पुरुष) को शारीरिक क्षमताओं के अनुसार कार्य उपलब्ध हो। इसके लिए संवेनशील कार्य व्यवस्था की आवश्यकता है।

अतः कार्य का स्वरूप उनकी कार्य क्षमताओं के अनुरूप हो। इसके लिए अधिनियम अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धजन द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के अवसरों की सूची संलग्न की जा रही है।

यह सूची सुझावात्मक है स्थानीय परिस्थितियों और वृद्धजन की शारीरिक क्षमता के अनुसार अन्य कार्य भी कराए जा सकते हैं।

संलग्न:- कार्यों की सूची


(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

पृ.क्र. 10170 / NREGS-MP / NR-5 / 2008

भोपाल, दिनांक 26/11/2008

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त 50 जिलों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत -
..... म. प्र. (समस्त 313 जनपद पंचायत) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.
में वृद्धजन के लिए
रोजगार के अवसर

- पेयजल व्यवस्था।
- पालनाघर व्यवस्था।
- कार्यों का पर्यवेक्षण।
- क्राक्रीट कार्यों में तराई अर्थात् पानी देने का कार्य।
- पौधरोपण।
- उपस्थिति पत्रक एवं मस्टर रोल के रखरखाव के कार्य।
- रोपणी की देखरेख।
- झाड़ू लगाना अथवा सफाई करना।
- मिट्टी भरना।
- मिट्टी को बाहर फेंकना / ट्राली में डालना।
- पानी की तराई करना / दीवार पर पानी डालना।
- मलबे को ट्राली में डालना।
- मलबे को तगारी में भरना।
- भूमि समतलीकरण का कार्य करना।
- मेढ़ बंधान करना।
- जल संरक्षण की भूमि में खन्ति / गद्ढा करना।
- खन्ति / गद्ढे की मिट्टी को अलग करना जमाना।
- सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।